

सेवामें

श्रीमान् तहसीलदार साहब
दूनी।

392
2021

प्रशासन गांवों के संग कैंप 2021

विषय:-ग्राम हिचरियावा की जमाबंदी के खाता सं० 45 में नाम/पिता का नाम/जाति दुरुस्ती करने
बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा०ले०रे० एक्ट 1956।

PGKC
Reader

11/10/21

hcms
2021/1151

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम हिचरियावा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं० 45 में
मेरा नाम/पिता का नाम/जाति गलत रूप से कस्तूर दर्ज है। मेरा सही
नाम/पिता का नाम/जाति कस्तूर है।

अतः सही नाम/पिता का नाम/जाति दुरुस्त कराने की कृपा करावें।

कस्तूर
प्रार्थी

रिपोर्ट पटवारी

महोदय

निवेदन है कि ग्राम हिचरियावा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं० 45 पर प्रार्थी का
नाम/पिता का नाम/जाति कस्तूर दर्ज है। प्रार्थी ने शपथ पत्र एवं
संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना नाम/पिता का नाम/जाति कस्तूर
करवाने का निवेदन किया है। हितबद्धधारी (प्रार्थी) की स्वीकारोक्ति एवं संलग्न दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का
नाम/पिता का नाम/जाति कस्तूर दर्ज किया जाना सही प्रतीत होता है। अतः
प्रार्थी का नाम/पिता का नाम/जाति कस्तूर दर्ज किये जाने की अभिशंषा
की जाती है।

DNAM
हस्ताक्षर पटवारी

[Signature]
हस्ताक्षर भू०अ०नि०

कार्यालय तहसीलदार दूनी कैंप 2021/1151

कमांक 46

दिनांक 11/10/21

रिपोर्ट पटवारी हल्का हिचरियावा भू०अ०नि० वृत् 45 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं
संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम हिचरियावा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता संख्या 45 में
प्रार्थी नाम/पिता का नाम/जाति सही रूप से कस्तूर दर्ज किये जाने
की अभिशंषा के साथ प्रकरण मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय देवली की सेवामें सादर प्रेषित है।

[Signature]
तहसीलदार (भू०अ०)
दूनी जिह्वा टांक

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली
कैंप/21

कमांक

दिनांक:-

Tah Devali ki khatir bhudhar gram hichariyaवा जमाबंदी
संवत् 2077 के खाता संख्या 45 में दर्ज कस्तूर के
स्थान पर कस्तूर उक्त राजम रिपोर्ट मते लु कस्तूर का
नाम
उपखण्ड अधिकारी
देवली (टांक)